

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/3922 _____ /

जबलपुर, दिनांक 22/07/2021

श्री पुष्पेन्द्र कुमार चौधरी, जूनियर ज्युडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से B.Lib.I.Sc. लाइब्रेरी साइंस के एक वर्षीय पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा सत्र-2021-2022 में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे तथा शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)


रजिस्ट्रार जनरल
Per

पृष्ठांकन क्रमांक B/3923 _____ /

जबलपुर, दिनांक 22/07/2021

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. एस.पी.एस.ए (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
 3. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. श्री पुष्पेन्द्र कुमार चौधरी, जूनियर ज्युडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Per